# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

**प्रकरण सं0 215/2016** **दायर दिनांकः 03/11/2016**

**उनवान**

**1.** प्रहलाद आयु 55 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति मीणा निवासी बरलां हाल निवासी गायत्री नगर अटरू (फील्ड के पास) तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**वादी**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

**प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0**

**एवं 136 एल0आर0एक्ट**

**उपस्थिति :—**

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार

**आदेश** दिनाक :21/01/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि ग्राम एवं माल वरलाँ तह अटरू जिला बारं (राज०) में पुराना खसरा संख्या 1 का रकबा 8 बीधा 1 बिस्वा आराजी मेरे भाई कालू पुत्र मोतीलाल जाति मीणा निवासी बरलाँ तह० अटरू के दिनांक 24.01.1983 को अलोटमेन्ट कमेटी द्वारा अलोट हुई थी तथा दिनांक 16.06.1983 को पटवारी हल्का द्वारा कब्जा दिया गया था जिसका नामान्तकरण सं0 204 तहसीलदार साहब अटरू द्वारा तस्दीक किया गया था। जिस पर जब तक मेरा भाई कालू जिन्दा था तब तक दोंनो मिलकर काश्त करते चले आ रहे थे तथा दिनांक 07.02.2016 को लाऔलाद मेरे भाई कालूलाल की मृत्यु मेरे पास गायत्री नगर अटरू में हुई हैं। मेरा दूसरा भाई बजरंगलाल भी लाऔलाद दिनांक 10.05.2004 को फोत हो चुका हैं। उसका एक मात्र वारिस मैं हूं। अलोटमेन्ट की नकल आंवटन पत्र, दखल नामा, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2039—2042, नकल जमाबन्दी सेटलमेन्ट—दो, मिलान क्षेत्रफल—दो, नकल नामान्तकरण, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र—दो, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत रतनपुरा वाद पत्र के साथ सलंग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित उक्त आराजी से वर्तमान खाता सं० 1 का ख०न० 11 का रकबा 0.91 है० बना हैं। बाद सेटलमेन्ट आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित उक्त आराजी को अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:46 IST
Reason: SelfAttested

से बिना जाँच पड़ताल किये ही वादी के भाई कालू लाल के. स्वामित्व एवं वादी के कब्जे काश्त की आराजी को बजंड दर्ज कर दिया। इसलिए वाद पत्र, की मद नं० 2 में वर्णित आराजी पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें जिसका वादी अधिकारी एवं नॉलिसी हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 एवं नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ सलंग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गौर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं हैं। अगर प्रतिवादी अपने अवैधानिक एवं गैर कानुनी कृत्य में सफल रहा और वादी के भाई के अलोट शुदा आराजी पर से प्रतिवादी द्वारा जबरन बेदखल कर दिया तो वादी को अपने कब्ने काश्त की आराजी से वंचित होना पडेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझआना पडेगा। अस्तु वादी उसके भाई के स्वामित्च की भूमि एवं वादी का कब्जा काश्त चला आने के कारण लम्बा कब्जा काश्त (कब्जा मुखालफाना) बाई आफेरेशन ऑफ लॉ विवादित भूमि का खातेदार कृषक बन चुका हैं। इसलिए वादी प्रतिवादी को जर्ये आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी हैं कि वह वादी को उक्त आराजी पर से जबरन बेदखल नहीं करें तथा वह वादी को उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करने देवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। वाद कारण प्रथम बार आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा वादी के भाई कालूलाल का नाम जमाबन्दी में से हटाकर बजंड दर्ज कर देने पर एवं अंतिम बार दिनांक 15.08.2016 को प्रतिवादी द्वारा. वादी को आराजी पर से बेदखल करने एवं 91 एल०आर०एक्ट० की कार्यवाही करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सीपी०सी० का नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया हैं लेकिन मामलां आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही राज० सरकार जर्ये. तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी बनाकर यह वाद 80(2) सी0पी०सी के प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। इसलिए 80(2) सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद की नियमित सुनवाई की जावें। विवादित आराजी ग्राम बरलाँ तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तुतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:46 IST
Reason: SelfAttested

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादी विनयी है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें किः

(अ) यह कि वादी को वाद पत्र की मद न० 2 में वर्णित ग्राम बरलाँ के खाता सं० 1 का ख०न0 11 का रकबा 0.91 है० आराजी पर खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

(ब) यह कि प्रतिवादी को इस आशय की आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादी को वाद पत्र की मद न० 2 में वर्णित आराजी पर से बेदखल नहीं करें और न ही वह वादी के विरूद्ध 91 एल०आर०एक्ट0 की कार्यवाही करें तथा वादी को उक्त वर्णित आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(स) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, प्रतिवादी को अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया । साक्ष्यवादी के तहत pw 1 से pw 3 का शपथ पत्र पेश किया तथा रिकार्ड exp करवाया गया । और शैष साक्ष्यवादी पेश नही करने के कारण शैष साक्ष्यवादी बंद किये गये।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सूनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन है कि वाद पत्र की मद नं 2 में वर्णित भूमि ग्राम बरला की खाता सं 1 ख. नं. 11 रकबा 0.91 है0 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। अभिभाषक वादी को सूना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2072–2073 ग्राम बरला खाता संख्या 1 ख.न. 11 रकबा 0.91 है0 खाता सरकार दर्ज है। प्रदर्श 4 आवंटन आदेश 24.01.83 से ग्राम बरला की ख.नं. 9 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा [illegible] लूराम पुत्र मोतीलाल मीणा को अलोट हुई थी। जिस पर अलोटी को तहसीलदार अटरू द्वारा [illegible] दे दिया था जो प्रदर्श 5A है। नामा0 सं0 204 दिनांक 20.08.83 को आंवटी [illegible] दार दर्ज किया गया जो प्रदर्श 6 A है। अलोटी कालूलाल की मृत्यु 7.2.2016 को हो चूकि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:46 IST
Reason: Self Attested

विवादित आराजी ग्राम बरला की खसरा संख्या 9 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा भूमि कालू पुत्र मोतीलाल मीणा बरला को 24.1.1983 को ऐलोट हुई थी जिसका नामा0 सं 204 दिनांक 20.8.1983 को

तस्दीक कर ऐलोटी को उक्त भूमि पर गैर खातेदार दर्ज किया गया । सेटलमेन्ट कर्मचारियान द्वारा कालू को एलोट उक्त भूमि को बंजट दर्ज कर खाता सरकार कर दिया गया जो मिलान क्षेत्रफल 1.7.1989 से 30.6.2009 में साबिक ख नं 9 मिन क्षैत्र कुल 23 बीघा 1 बिस्वा का ख. नं. 11 रकबा 0.91 है0 बनाये गये है। जिससे स्पष्ट है एलोटी कालू लाल की मृत्यु 7.2.16 हुई है। जो ला औलाद फोत हुआ है। तथा इसका दूसरा भाई बजरंगलाल भी लाऔलाद फौत हुआ है। पत्रावली में मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र 156 दिनांक 25.2.2016 अनुसार मृतक कालूलाल का वादी प्रहलाद पुत्र मोतीलाल मीणा ही एक मात्र वारिस है।

RRD 1983 पेज 64 मातादीन बनाम श्रीराम, RRD 1997 पेज 504 पूसा राम बनाम राजस्व मण्डल मामलों में माननीय न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि ''दौराने सेटलमेंट ASO को खातेदार का नाम परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है।''

WLC (Raj) 1996 (1) पेज 284 पूसा राम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य में माननीय न्यायालय में व्यवस्था दी है कि Correction of entry in record of rights post Settlement power and remedy in respect of Land Records Officer has power to correct error creeping in revenue record during settlement operations.

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि खातेदार का नाम बिना किसी विधिक प्रक्रिया के न तो सेटलमेंट के दौरान बदला जा सकता है और न ही बाद सेटलमेंट।

प्रतिवादी ने उक्त विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करने हेतु किसी भी विधिक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया है। क्योंकि इस प्रकार का कोई दस्तावेज प्रतिवादी पेश नहीं किया है।

प्रकरण में एलोट शुदा भूमि व कब्जे काश्त की भूमि ख.नं. 9 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा को नये ख. नं. 11 रकबा 0.91 है0 बनाकर खाता सरकार दर्ज कर दिया गया जो रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर दुरूस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:46 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बरला की खाता संख्या 1 का ख.नं. 11 का रकबा 0.91 है0, पर वादी प्रहलाद पुत्र मोतीलाल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते

है। कि खाता संख्या 1 राजस्थान सरकार दुरूस्त किया जाकर ख नं. 11 का रकबा 0.91 है0 वादी के खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:46 IST
Reason: SelfAttested

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**
**(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)**
**आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)**
**बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीना (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)**

**प्रकरण सं0 215/2016** **दायर दिनांकः 03/11/2016**

**उनवान**

1 प्रहलाद आयु 55 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति मीणा निवासी बरलां हाल निवासी गायत्री नगर अटरू (फील्ड के पास) तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थिति :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी वाके ग्राम बरला की खाता संख्या 1 का ख0न0 11 का रकबा 0.91 है0, पर वादी प्रहलाद पुत्र मोतीलाल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है। कि खाता संख्या 1 राजस्थान सरकार दुरूस्त किया जाकर ख नं. 11 का रकबा 0.91 है0 वादी के खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

**(दिनेश कुमार मीना)**
**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 21.01.2021 को जारी किया गया।

**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

| **मुदई** | | **मुदालयह** | |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमिश्नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिश्नर | स्टाम्प अर्जी | बाबत् इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सबूत | बाबत् इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मुत0 |
| महन्ताना वकील | मुत0 | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | मिजान | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:46 IST
Reason: SelfAttested

**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**